

पत्र सं०-2प/वि०-17-02/2026(खण्ड-2)/5046/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25/03/2026

विषय:- सात निश्चय-3 के अन्तर्गत "सबका सम्मान-जीवन आसान" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के आलोक में राज्य स्तर पर बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के आलोक में योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 232 दिनांक 24.02.2023 एवं अधिसूचना संख्या-714 दिनांक 19.05.2023 द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार/अधिसूचक, अधिसूचित हैं। इस क्रम में पंचायत स्तर पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार अधिसूचित किया गया है।

इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप, मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी एवं समयबद्ध किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाले विलंब से आमजनों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को, असुविधा का सामना करना पड़ता है। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2026 को आहूत बैठक में भी राज्य अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के सुदृढीकरण एवं आम नागरिकों को इसकी सुविधा प्रदान करने हेतु मृत्यु की घटित घटनाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण कर अंत्येष्टि के 24 घंटा के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था किया जाना है :-

1. ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित कार्य प्रभारी

के द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में सरकारी भूमि पर मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित है, उस वार्ड के वार्ड सदस्य/पंच/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव उस मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी होंगे। वार्ड सदस्य की रिक्ति/अनिच्छा पर संबंधित वार्ड के पंच एवं पंच की रिक्ति/अनिच्छा की स्थिति में उस वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी होंगे।

यदि किसी वार्ड में सरकारी भूमि पर एक से अधिक मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित है वैसी स्थिति में उस वार्ड के वार्ड सदस्य यदि प्रथम मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसी वार्ड के पंच द्वितीय मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी होंगे। पंच की रिक्ति/अनिच्छा पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव प्रभारी होंगे। यदि उस वार्ड में सरकारी भूमि पर दो से अधिक मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित हैं वैसी स्थिति में तृतीय मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी के रूप में संबंधित वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव प्रभारी होंगे।

2. मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी का कार्य निम्नवत् होगा:—

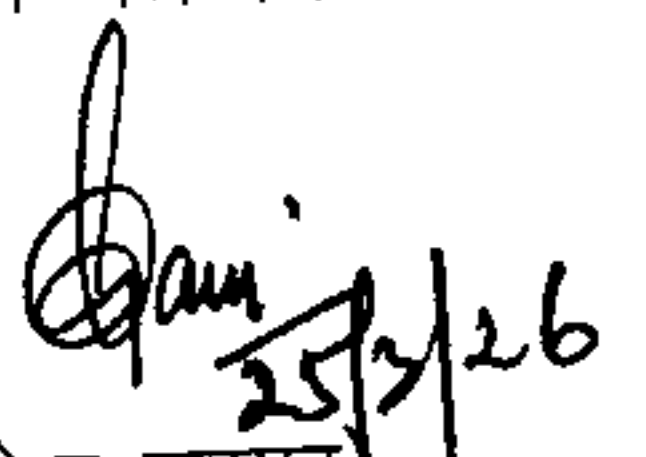
- (i) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधित) नियमावली, 2025 के द्वारा अधिसूचित प्रारूप संख्या-2, मृत्यु पंजी, पंजी प्रारूप एवं अन्य प्रारूपों का संधारण मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।
- (ii) मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया के लिए लाये गये मृतक से संबंधित विहित प्रपत्र में सूचना संग्रहण करने हेतु एक पंजी का संधारण किया जायेगा। विहित प्रपत्र से संबंधित पंजी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iii) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधित) नियमावली, 2025 के द्वारा अधिसूचित प्रारूप संख्या-2 में सूचना दाता के द्वारा प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान है। मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी विहित प्रारूप संख्या-2 में सूचना दाता से सभी सूचनाएँ प्राप्त कर संधारित करेंगे।
- (iv) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार के द्वारा निर्गत शवदाह/कब्रिस्तान पंजीयन प्रपत्र में संपूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ मृतक के परिजन को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अपने पास संधारित रखेंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार/पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में भी सूचना एकत्रित कर संधारित करेंगे।

(v) अंत्येष्टि के उपरांत प्रारूप संख्या-2 एवं अन्य प्रतिवेदन पंचायत सचिव-सह-रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

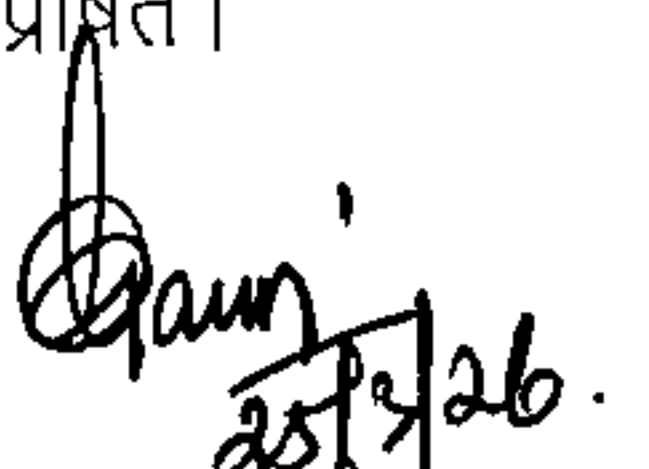
इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-714 दिनांक 19.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव को संबंधित पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया गया है। संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत सचिव का यह दायित्व होगा कि जैसे ही अधिसूचक द्वारा उन्हें विहित प्रपत्र में मृतक की सूचना उपलब्ध कराई जाती है वैसे ही उनके द्वारा विहित प्रपत्र में संकलित सूचनाओं के आधार पर नियमानुसार 24 घंटा के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा और इसकी प्रति मृतक के परिजन को मोबाईल/ई-मेल/मोबाईल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। परिजन आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय पंचायत सचिव यह सुनिश्चित कर लेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु उस ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत हुई है अथवा नहीं, यदि व्यक्ति की मृत्यु उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र से बाहर हुई है तो वैसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अधिसूचक से प्राप्त विहित प्रपत्र में संकलित सूचनाओं को संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरांत संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मृतक के परिजन को त्वरित रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

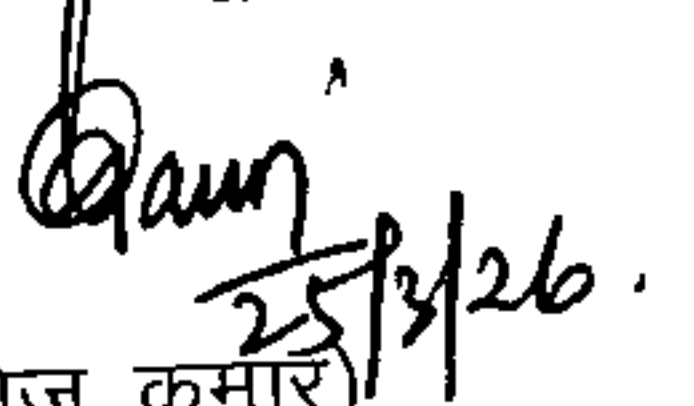
इसका शीघ्र अनुपालन किया जाय।


(मनोज कुमार)
सचिव

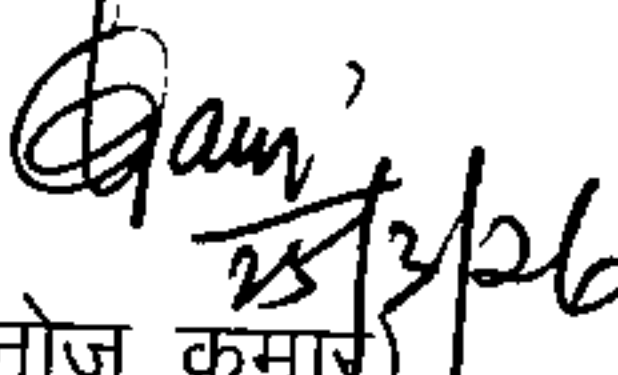
ज्ञापांक: 2प/वि०-17-02/2026(खण्ड-2)/50.4.6./पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2026
प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

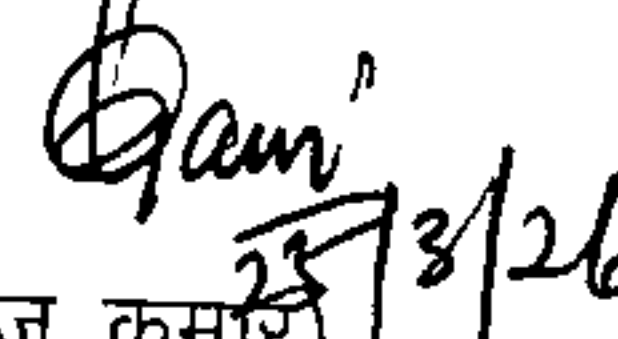
ज्ञापांक: 2प/वि०-17-02/2026(खण्ड-2)/50.4.6./पं०रा० पटना, दिनांक 25.03.2026
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादा सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०-17-02/2026(खण्ड-2)/5046/पं०रा० पटना, दिनांक 25-03-2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०-17-02/2026(खण्ड-2)/5046/पं०रा० पटना, दिनांक 25-03-2026
प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव